भीम

राजस्थान सरकार
वन विभाग

प॰एफ॰न॰ 3(8)वन/2023

जयपुर, दिनांक– 19.05.2023

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात बारां जिले की तहसील किशनगंज मे स्थित रक्षित वन खण्ड बांझआमली वनभूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची–I एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची– II के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू–संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में **बांझआमली संरक्षण आरक्षिति** के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूची–I

क्र॰सं॰	जिला	तहसील	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	बारां	किशनगंज	बांझआमली	14621.91	रक्षित वन
			योगः–	**14621.91 है0**	

अनुसूची– II

उत्तरी सीमा :– वन खण्ड बांझआमली की उत्तरी सीमा (सरहद मध्यप्रदेश)

पूर्वीसीमा :– वन खण्ड बांझआमली की पूर्वी सीमा वन खण्ड खण्डेलातक

दक्षिणी सीमा :– वन खण्ड बांझआमली की दक्षिणी सीमा होगी वन खण्ड जयनगर उर्फ बकनपुरा ए, वन खण्ड खेडलातक

पश्चिमीसीमा :– वन खण्ड बांझआमली की पश्चिमी सीमा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मोनाली सेन)
विशिष्ट सचिव, वन

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.05.19 13:57:51 IST
Reason: Approved

कार्यालय पताः– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर.
दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3876678

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई–गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
9. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, कोटा।
11. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
12. जिला कलक्टर, बारां।
13. उप वन संरक्षक, बारां।
14. गार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपिनिम्नांकितकोभीसूचनार्थप्रेषितहैं :–

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बागरोड़, नईदिल्ली।
2. महानिरीक्षक,वन (वन्यजीव) पर्यावरण, वन एवंजलवायुपरिवर्तनमंत्रालय, भारतसरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बोक्सनं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid
Digitally signed by Mo[illegible]ali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.05.19 [illegible]3:57:51 IST
Reason: Approved